न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 38 / 2023 GCMS No.—2016/00119
(पूर्व दर्ज नंबर 148 / 16)

डूंगरसी पुत्र स्व0 श्री ग्यारसा जाति मीणा निवासी ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
...अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती कल्ली देवी पुत्री स्व. श्री मोती पत्नी श्री गुमान जाति मीणा निवासी ग्राम ढिढोल हाल निवासी ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार महोदय तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील संख्याः 37 / 2023 GCMS No.—2016/00118
(पूर्व दर्ज नंबर 147 / 16)

1. जगदीश पुत्र स्व. ग्यारसा
2. मांगीलाल पुत्र स्व. ग्यारसा
3. गोपाल पुत्र स्व. ग्यारसा

डूंगरसी पुत्र स्व. ग्यारसा समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम ढिढोल, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती कल्ली देवी पुत्री स्व. श्री मोती पत्नी श्री गुमान जाति मीणा निवासी ग्राम ढिढोल हाल निवासी ग्राम रामसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार महोदय तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
3. उगन्ती पुत्री रामफूल जाति मीणा ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. राकेश पुत्र छोटाराम जाति मीणा निवासी गोविन्दराम की ढाणी (सेक्टर 11 के पास मालवीय नगर जयपुर।

.....रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तहसील बस्सी दिनांक 04.06.2015 जिसके द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 के हक में नामान्तकरण संख्या 488 दिनांक 04.06.2015 को तस्दीक किया गया।

———————

उपस्थितः–

1. श्री राजेश रूहेला अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 21.01.2025

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 04.06.2015 जिससे नामान्तरकरण संख्या 488 वाके ग्राम ढिढोल, तहसील बस्सी के द्वारा रेस्पा0 संख्या 1 के हक में तस्दीक किया गया से असंतुष्ट होकर 04.09.2015 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार पारीक उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अपील संख्या 37 / 23 में रेस्पा0 संख्या 3 व 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। अपील संख्या 37/23 बउनवानी जगदीश बनाम कल्ली भी नामान्तकरण संख्या 488 के विरूद्ध पेश की गयी है। अतः प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के सिद्वान्त अनुसार तहसीलदार बस्सी द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 488 वाके ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी हाल तहसील तूंगा के विरूद्ध दो अपीले पेश की गयी उक्त दोनो अपीलों में अभिभाषकगण द्वारा लिखित बहस पेश की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में वर्णित तथ्यो अनुसार अपीलांट की कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम ढिढोल तहसील बस्सी में स्थित है उक्त भूमि के मूल खातेदार अपीलांट के दादा छोटया पुत्र लखमा मीणा था एवं छोटया की मृत्यु पर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी उसके जायन्दा पुत्रो ग्यारसार पुत्र छोटया, मोती पुत्र छोटया के नाम आ गयी जिसमें मोती ना औलाद फौत हो गया उसकी पत्नी मोती अन्य व्यक्ति के नाते चली गई। मोती की देखभाल ग्यारसा ने की एवं मोती की मृत्यु पर मोती ने अपनी अन्तिम इच्छा गांव समाज के मोतबीर लोगो के समक्ष जाहिर की कि मेरी स्वयं की अर्जित भूमि 142/7 कुल 13 बीघा डूंगरसी की रहेगी व मेरी पैतृक भूमि 29 बीघा 18 बिस्वा मेरे भाई ग्यारसा के रहेगी। मोती की मृत्यु के पश्चात खसरा नंबर 142/7 रकबा 13 बीघा की खातेदारी डूंगरसी के नाम दर्ज की गयी। जिसके पश्चात अपीलांट द्वारा भूमि का बेचान भी कर दिया गया एवं बेचान की गयी भूमि का नामान्तकरण भी तस्दीक हो गया। रेस्पा0 संख्या 1 जो अपीलांट की बहिन है एवं जबरन मोती की पुत्री बनकर दिनांक 29.08.2012 को राजस्व वाद कल्ली देवी बनाम जगदीश वगैरा 77/2012 बाबत घोषणा दुरूस्ती इन्द्राजात व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के प्रस्तुत किया एवं इसके अतिरिक्त रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा अपील संख्या 16/12, 17/12, 19/12 विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 67, 430, 432 पेश की गयी। अपीलांट द्वारा उक्त दावे में जवाब भी पेश किया गया कि कानूनन मीणा जाति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होते है तथा ना ही मीणा जाति में लडकियो को पैतृक सम्पत्ति में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त होता है। उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा उक्त अपीले गुणदोषो पर बिना पक्षकारो व पक्षकारो के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 23.05.2015 स्वीकार फरमाकर कल्ली देवी के नाम अपीलांट की भूमि दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बस्सी को प्रदान कर दिये। जिसकी पालना में तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया। अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील पेश की गयी। न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 21.12.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी बस्सी का निर्णय दिनांक 23.05.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बस्सी को रिमाण्ड किया गया। मूल आदेश निरस्त किये जाने के कारण अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 488 न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पत्ति में पुत्री का हक अधिकार नहीं होता है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया है। तहसीलदार बस्सी को अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित राजस्व वाद के विचाराधीन होते हुए नामान्तकरण की कार्यवाही को स्थगित कर देना चाहिए था। उपरोक्त आधारो पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.06.2015 नामान्तकरण संख्या 488 बाबत कतई अस्तित्व में छोडे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.06.2015 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 488 वाके ग्राम ढिढोल, तहसील बस्सी को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पा0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तकरण नियमानुसार एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के आदेश के आधार पर मोती के वारिसान के हक में तस्दीक किया है। रेस्पा0 संख्या स्व. मोती की एकमात्र जायन्दा पुत्री है जिनका भी अपने पिता की भूमि में हक अधिकार निहित है। अपीलाधीन नामान्तकरण नियमानुसार एवं विधिक वारिसान के हक में ही तस्दीक किया गया जो नियमानुसार उचित है। उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आदेश की पालना पुनः दिनांक 29.11.2024 को आदेश पारित कर दिया है जिसमें रेस्पा0 संख्या 1 के नाम से नामान्तकरण भरा जाकर तस्दीक करने की कार्यवाही करने के आदेश दिये है। अपीलांट ने सरपंच से साज कर मोती के पुत्र बनकर नामान्तकरण तस्दीक करवा लिये जो न्यायोचित नहीं है इसलिए उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा निर्णय विधिसम्मत है। इसलिए अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायलय आदेशों से स्व. मोती की विरासत के आधार पर उसके जायन्दा वारिसान के हक में तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर गौर किया एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 488 वाके ग्राम ढिढोल, तहसील बस्सी निर्णित दिनांक 04.06.2015 के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा अपील संख्या 16/12, 17/12, 19/12, 20/12 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2015 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा रेस्पा0 संख्या 1 के हक में भरा गया। जिसे तहसीलदार बस्सी द्वारा आदेश दिनांक 04.06.2015 से तस्दीक किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट द्वारा प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी बस्सी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2015 के विरूद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी। न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा आदेश दिनांक 21.12.

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

2021 से उपखण्ड अधिकारी बस्सी का आदेश दिनांक 23.05.2015 निरस्त कर पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बस्सी को प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज कर सुनवाई करते हुए आदेश दिनांक 29.11.2024 द्वारा मोती की विरासत का नामान्तकरण रेस्पा0 संख्या 1 के नाम तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के आदेशो की पालना में तस्दीक किया गया है। इसलिए यदि अपीलांट अपीलाधीन भूमि में किसी प्रकार का हक, हकूक, अधिकार निहित रखते है तो वे सक्षम स्तर पर चाराजोई करें। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के आदेश से अपीलांट असंतुष्ट है तो वे सक्षम स्तर पर अपील करने हेतु स्वतंत्र है। माननीय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील संख्या 6091/2022 में पारित निर्णय 09.12.2022 में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उत्तराधिकार के बिन्दु पर आदिवासी महिलाओ के हक, अधिकार आदिवासी पुरूष के समान माना है एवं केन्द्र सरकार को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो में संशोधन हेतु कथन किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा स्व. मोती की खातेदारी भूमि में उसकी एकमात्र जायन्दा पुत्री कल्ली देवी (रेस्पा0 संख्या 1) के हक में आदेश पारित किया गया है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण में स्व. मोती की खातेदारी भूमि से उसकी एक मात्र जायन्दा पुत्री रेस्पा0 संख्या 1 को केवल अनुसूचित जनजाति की महिला होने के आधार पर ही उसके हक अधिकार से वंचित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय हाजा का श्रवण क्षेत्राधिकार नामान्तकरण के बिन्दु पर है, अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है एवं पुनः रिमाण्ड किये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने रेस्पा0 संख्या 1 के हक में नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिनांक 29.11.2024 को प्रदान किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में क्या त्रुटि की है, अपीलांट अधिवक्ता साबित नहीं कर पाये है। इसलिए न्यायालय आदेश से तस्दीक किये गये नामान्तकरण के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर